

मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::


भोपाल, दिनांक 30 दिसंबर, 2020

क्रमांक एफ 22-114/2020/पी-1/इकतीसः श्री बी०के०राठी, सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, इन्दौर दिनांक 23-07-2019 से 19-03-2020 तक (कुल 241) दिवस स्वयं की अस्वस्थता के कारण चिकित्सीय आधार पर लघुकृत अवकाश पर रहे।

2. राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम-29 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्री बी०के०राठी, सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, इन्दौर को दिनांक 23-07-2019 से 19-03-2020 तक (कुल 241) दिवस के अन्तर्गत लघुकृत अवकाश स्वीकृत करता है।

3. उक्त स्वीकृत अवकाश अवकाश नियम, 29 के अंतर्गत अर्द्ध-वेतन अवकाश का दुगना अर्थात् दिनांक 23-07-2019 से 19-03-2020 तक की कुल अवधि कुल 241 दिन के लिए अवकाश लेखे में 482 दिवस की प्रविष्टि की जाएगी।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार।



(प्रमोद कुमार खरे) 30/12/20
अवर सचिव


पृ०क्रमांक एफ 22-114/2020/पी-1/इकतीस
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, म.प्र।
3. संबंधित जिला कोषालय.....
3. संबंधित श्री बी०के०राठी, सहायक यंत्री, जल संसाधन संभाग, इन्दौर (म.प्र.)

4. बेव मैनेजर, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु।


30/12/2020 म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 30 दिसंबर, 2020


अवर सचिव 30/12/20
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग


30/12/2020